संचिका सं0—डी0एच0एस0/डी0टी0सी0सी0/01/2010......672...... पटना, दिनांक...26/5/12.........

जिला स्वास्थ्य समिति, पटना

(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतू स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 336(12) पटना दिनांक 02.04.12 के आलोक में ज़िला पदाधिकारी की अध्यक्षता में "ज़िला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC)" का गठन किया जाता है।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के निम्नांकित सदस्य होंगें :—

1.	जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	—	अध्यक्ष
2.	सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति	—	सदस्य सचिव
3.	जिला नोडल ऑफिसर, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,पटना		—सदस्य—सह— समन्वयक
4.	वरीय जिला पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
5.	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	—	सदस्य
6.	जिला खाद्य/औषधि नियंत्रक	—	सदस्य
7.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	—	सदस्य
8.	जिले के प्रसिद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य (बी0एन0कॉलेज,पटना)	—	सदस्य
9.	स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि (BVHA,पटना एवं SEEDS,पटना) (स्वास्थ्य/टोबैको कंट्रोल क्षेत्र में कार्य करनेवाले)	—	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है:—

- COTPA-2003 को पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कराने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यो का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- सभी जिलों की अनुश्रवण/रहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें है तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामलों में फैसला लिया गया है।
- तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा—4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य स्तरीय समिति को सूचित करना।

672/DHS 26/5/12

- DTCCC की त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष/ Surrogate विज्ञापन के बारें में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

13/4/12   13.4.12

जिला नोडल पदाधिकारी, (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) सदस्य सह समन्वयक	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना	जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना।

ज्ञापांक -डी.एच.एस./डी.टी.सी.सी./01/2010 ....672 /DHS.... पटना, दिनांक....26/4/12....

प्रतिलिपि :- सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य सलाहकार, (तम्बाकू नियंत्रण) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, स्वास्थ्य सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/4/12   13.4.12

जिला नोडल पदाधिकारी, (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) सदस्य सह समन्वयक	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना	जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना।

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2013 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पटना एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) बिहार के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अपर समाहर्ता, (विधि व्यवस्था) पटना जिला को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। अपर समाहर्ता, (विधि व्यवस्था) जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कोटपा के विभिन्न धाराओं का उनकी अनुपालन तथा दण्ड स्वरूप की राशि प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। पटना जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

ज्ञापांक 3445 / गो0, पटना दिनांक 25/03/2013

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पटना/निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, पटना/सभी सिविलियन पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0/एन0एम0सी0एच0/आई0जी0आई0एम0एस0, पटना/ अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, बाढ़, दानापुर, मसौढ़ी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पटना/सभी सी0डी0पी0ओ0, पटना/नगर आयुक्त, पटना/पुलिस उपाधीक्षक(मुख्यालय), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित कराना एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी समाचार पत्रों में तत्संबंध आदेश का विधिवत प्रकाशन एवं प्रसारण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : सभी सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक सीड्स सह सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीड्स, 203 स्वर्णी सूरज अपार्टमेंट, पी0ओ0पी0, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : स्वास्थ्य सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2013 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पटना एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) बिहार के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय धावादल टीमों का गठन किया जाता है। यह दल सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद बिक्री स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (अधिकतम 200/- रू0) की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

जिला स्तरीय धावादल दल में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

1.	अपर समाहर्त्ता, (विधि व्यवस्था) सह जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना	–	अध्यक्ष
2.	जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम)	–	संयोजक
3.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) पटना	–	सदस्य
4.	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) पटना	–	सदस्य
5.	जिला परिवहन पदाधिकारी	–	सदस्य
6.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
7.	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य
8.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS)	–	सदस्य
9.	जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
10.	जिला औषधि निरीक्षक	–	सदस्य
11.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति)	–	सदस्य
12.	श्रम अधीक्षक, पटना	–	सदस्य
13.	संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस धावादल टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में दो बार छापामारी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

ज्ञापांक [illegible] / गो0, पटना दिनांक 25/12/2013

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। जिला नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि धावादल टीमों के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि जिले के सभी समाचार पत्रों में उपरोक्त आदेश का निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पटना /सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना /नोडल पदाधिकारी, पर्यटन विभाग/स्टेशन अधीक्षक, पटना जंक्शन/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/आयुक्त, पटना नगर निगम पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्ष /पुलिस निरीक्षकों /पुलिस उपाधीक्षकों को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई निदेश देने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीड्स, 303 स्वस्ति कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : स्वास्थ्य सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके चलते स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2013 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पटना एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) बिहार के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय कार्यबल दलों का गठन किया जाता है। यह दल सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्त्ताओं पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (अधिकतम 200/- तक) की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल स्तरीय कार्यबल दल्र में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

1.	अनुमंडल पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	–	सदस्य
3.	कार्यपालक दण्डाधिकारी	–	सदस्य
4.	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
5.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल	–	सदस्य
6.	अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
7.	संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त कार्यबल दल के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में [illegible] कार्रवाई की प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन [illegible] को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ले सकेंगे।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

ज्ञापांक 3067 / गो., पटना, दिनांक 25/03/2013

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, बाढ़, पालीगंज, दानापुर, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित को तामिल कराते हुए [illegible] का साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, विधि व्यवस्था सह विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों /पुलिस निरीक्षकों /पुलिस उपाधीक्षकों को तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई निदेश देने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीड्स, 303 बसन्ती कुन्ज अपार्टमेन्ट, रोड आफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : स्वास्थ्य सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

[illegible] समाहरणालय, पटना

[illegible]

<u>आदेश</u>

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति [illegible] [illegible] के [illegible] एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार [illegible] द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.03.2013 को जिला तम्बाकू नियंत्रण [illegible], पटना एवं [illegible] [illegible] [illegible] (सीडस) बिहार के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय समन्वय दलों का गठन किया जाता है। यह दल सभी सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद [illegible] [illegible] की [illegible] का उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (अधिकतम 200/- रुपये) की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

प्रखंड स्तरीय समन्वय दल में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	—	अध्यक्ष
2.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	—	[illegible] सदस्य
3.	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	—	सदस्य
4.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	—	सदस्य
5.	[illegible] पदाधिकारी	—	सदस्य
6.	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	—	सदस्य
7.	संबंधित थानाध्यक्ष	—	सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी ने इस समन्वय दलों के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में दो बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] पदाधिकारी को भी [illegible] के रूप में [illegible] किया जाएगा। साथ ही [illegible] द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवाएं ली जा सकेंगी।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

ज्ञापांक 3..6.3../ गो., पटना दिनांक 25/0[illegible]/2013

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित को तामिला कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, बाढ़, पालीगंज, दानापुर, मसौढ़ी को सूचनार्थ हेतु।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों /पुलिस निरीक्षकों /पुलिस पदाधिकारियों को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई निदेश देने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 300 [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], पटना को सूचनार्थ हेतु।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ हेतु।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ हेतु।

प्रतिलिपि : स्वास्थ्य सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ हेतु।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र पटना को सूचनार्थ हेतु।

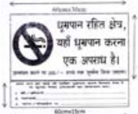
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। सर्वविदित है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.03.2013 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पटना एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) बिहार के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA-2003) के धारा-4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों यथा- सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, [illegible], [illegible], न्यायालय परिसर, [illegible], [illegible], सिनेमा हॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट, [illegible] भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा-4 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ताओं को रूपये 200/—तक जुर्माना किया जा सकता है। उपरोक्त सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-



अतः सरकार के द्वारा अधिकतम 200 रूपये तक दंड की वसूली के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में COTPA-2003 के धारा-4 के तहत उल्लंघन करने वालों को 200 रूपये तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

ज्ञापांक 5143 / गो0, पटना, दिनांक 25 /03/2013

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पटना/निदेशक, एन0आई0सी0, पटना /निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, पटना/ अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, बाढ़, दानापुर, पालीगंज, मसौढ़ी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सभी चिकित्सा पदाधिकारी, [illegible], शहरी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पटना/ सभी सी0डी0पी0ओ0, पटना/श्रम अधिक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि जिले के सभी समाचार पत्रों में उपरोक्त आदेश का निःशुल्क प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था सह विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : स्वास्थ्य सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.03.2013 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पटना एवं सोसाइटी इकनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) बिहार के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 की धारा (6A) के अन्तर्गत सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है कि अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। बोर्ड का प्रारूप निम्नवत् है :-



जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं धारा [illegible] के तहत अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

ज्ञापांक 3067 / गो0 पटना, दिनांक 25/03/2013

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/निदेशक, एनआईसी, पटना/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, बाढ़, पालीगंज, दानापुर, मसौढ़ी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना/सभी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल, शहरी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस, पटना/सभी सीडीपीओ, पटना/नगर आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि जिले के सभी समाचार पत्रों में उपरोक्त आदेश का निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: अपर समाहर्त्ता, विधि व्यवस्था-सह-नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक, सीड्स, 303 स्वाती सुमन अपार्टमेन्ट, [illegible], पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: स्वास्थ्य सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

पटना समाहरणालय, पटना।
(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.03.2013 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पटना एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) बिहार के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6 (b)) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पेंटिंग अथवा दिवाल लेखन का निर्देश दिया जाता है। पेंटिंग अथवा दिवाल लेखन का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
इस शिक्षण संस्थान की 100 गज की परिधि में किसी भी प्रकार की तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। [illegible]

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवाल लेखन एवं 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं कानून के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू से हुए नुकसानों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना

ज्ञापांक 3766 / गो0, पटना दिनांक 25/03/2013

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय पटना जिला को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि जिले के सभी विद्यालयों में उपरोक्त साइन बोर्ड का दिवाल लेखन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि जिले के सभी समाचार पत्रों में उपरोक्त आदेश का निःशुल्क प्रकाशन करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था सह जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीड्स, 303 भवानी कुंज अपार्टमेंट, पीरमोहानी, दुर्गाश्रम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : स्वास्थ्य सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,पटना